

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं.

/ 202.....

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से  |
|----------|---------------------------|---|
|          | 16/8/24                   | <p>पत्रावली पेश हुई। उच्चिष्ठवादी उपर्युक्त व्यक्ति की पालना हेतु - सापेक्षित में संश्लिष्य सापेक्षित दिनांक 16/10/24 को पेश की जायेगी।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी<br/>जोबनेर, जयपुर</p>   |
|          | 18/10/24                  | <p>पत्रावली पेश हुई। नो. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/12/24 को पेश हो।</p>   |
|          | 27/12/24                  | <p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी को आज न्यायालय में प्रथम-प्रथम समय पर तीन-तीन बार भावने लगावायी गयी। बावजूद भावना लगावने के उपरांत भी वादी को न्यायालय में हाजिर नहीं माने कारण पत्रावली अन्तर्गत सारंश-9 नियम-3 प्रा० की० के तहत अदम हाजरी व अदम फेरी में खारिज की जाती है। पत्रावली न्यायालय नुमांर होकर नंबर ले कम होकर कार्रवाई भूतकर हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी<br/>जोबनेर, जयपुर</p> |

नाम  
क्र. सं.  
कार्यवाही

शिकायती  
जयपुर  
दिनांक 27/12/24